

फार्मेट सी-१

(अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता: _____

राजनैतिक दल का नाम: _____

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम: _____

*निर्वाचन क्षेत्र का नाम: _____

मैं (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता / करती हूँ:

क्रम सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(एं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश(शासी) की तारीख	अपराध(अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण

राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी: (i) अलग—अलग पंक्तियों में प्रत्येक मामले के लिए अलग—अलग विवरण दें।

(ii) समाचार पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

(अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों, टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम: _____

*निर्वाचन का नाम: _____

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम: _____

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	लंबित आपराधिक मामले	आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण
			न्यायालय का नाम, मामले की सं० एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण

राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टिप्पणी: (i) अलग—अलग पंक्तियों में प्रत्येक मामले के लिए अलग—अलग विवरण दें।

(ii) समाचार पत्रों में विषयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए।

रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :.....

राज्य का नाम :.....

निर्वाचन का नाम :.....

यह सूचित किया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) 2011 की सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय एवं आयोग के दिनांक 10.10.2018 के पत्र सं. 3/ईआर/2018/एसडीआर में दिए गए निदेशों के अनुसार, आपराधिक मामले— चाहे लंबित मामले या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले वाले सभी अभ्यर्थियों से, अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख के बाद और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के दौरान, तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में ऐसे आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाती है। टीवी चैनलों में प्रकाशन की घोषणा मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे की अवधि से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

चूंकि आप, उपयुक्त निर्वाचन के लिए नामित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम का उल्लेख करें) ने प्ररूप –26 की मद सं. 5/6 तके आपराधिक मामलों के बारे सूचना की घोषणा की है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों में इस जानकारी को प्रत्येक में कम से कम तीन अवसरों पर प्रकाशित करें। जानकारी प्रकाशित करने के लिए फार्मेट इसके साथ संलग्न है। यह भी सूचित किया जाता है कि आपराधिक मामले के बारे में सूचना प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की प्रतियां, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय लेखा के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तारीख:

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी का नाम.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

टिप्पणी: इसकी एक प्रति अभ्यर्थी को दी जानी चाहिए और एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामलों के संबंध में की जाने वाली घोषणा को प्रकाशित करने के बारे में रिपोर्ट

अभ्यर्थी का नाम और पता

निर्वाचन दल का नाम :

(निर्दलीय अभ्यर्थियों द्वारा यहां 'निर्दलीय' लिखा जाना चाहिए)

निर्वाचन का नाम :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

मैं..... (अभ्यर्थी का नाम), ऊपर उल्लिखित निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी, प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 536 (पब्लिक इन्टरेस्टफाउन्डेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समाचार-पत्रों और टेलीविजन चैनलों में अपनी घोषणा का प्रकाशन/प्रसारण कर दिया है। व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रं0 सं0	समाचार-पत्र			टेलीविजन			भुगतानकी विधि (इलेक्ट्रॉनिक / चैक / डीडी / नकद) (कृपया उल्लेख करें)
समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख	उपगत किया गया व्यय (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/टेली प्रसारण की तारीख और समय	उपगत किया गया व्यय (रु. में)		

उन समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं जिनमें घोषणा प्रकाशित की गई।

दिनांक :

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

- नोट:-** (i) लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में इसे निर्वाचन व्यय के लेखा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
(ii) राज्य-सभा और राज्य विधान परिषदों के निर्वाचनों के मामले में इस रिपोर्ट को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

राजनैतिक दल द्वारा आपराधिक मामलों के संबंध में की जाने वाली घोषणा के प्रकाशन की रिपोर्ट

राजनैतिक दल का नाम :
 निर्वाचन का नाम :

यह प्रमाणित किया जाता है कि : : (राजनैतिक दल का नाम) ने आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अपने अर्थर्थीयों की घोषणा को वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 536 (पब्लिक इन्टरेस्ट फाउन्डेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार अपनी पार्टी की वेबसाइट, समाचार-पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित/प्रसारित कर दिया है। व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं 0	वेबसाइट			टेलीविजन			भुगतानकी विधि (इलेक्ट्रॉनिक / चैक / डीडी / नकद) (कृपया उल्लेख करें)
प्रदर्शित किए जाने की अवधि	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख (तारीखें)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/टेली प्रसारण की तारीख और समय	उपगत किया गया व्यय (रु. में)		

उन समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं जिनमें घोषणा प्रकाशित की गई।

दिनांक :

पदाधिकारी के हस्ताक्षर
 नाम एवं पदनाम

नोट : यह रिपोर्ट राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

फार्मेट सी- 6

आयोग के पत्र संख्या 3/4/2017/एसडीआर/खण्ड11, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों को प्रकाशित करने के संबंध में विवरण – राजनैतिक दलों द्वारा अनुपालन संबंधी रिपोर्ट,

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम—

निर्वाचन का नाम— (साधारण/उप-निर्वाचन, लोक सभा/राज्यसभा/विधानसभा विधान परिषद)

मतदान की तारीख (तारीखें)—

विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	राजनैतिक दल का नाम	राजनैतिक दल द्वारा फार्मेट सी 5 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। (हां/नहीं) यदि हां तो प्रस्तुत करने की तिथि	क्या निदेश के अनुसार दल की वेबसाइट पर घोषणा प्रकाशित कर दी गई है। (हां/नहीं)	दल द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन	दल द्वारा टेलीविजन पर प्रसारण		
				समाचार पत्र (पत्रों) के नाम	प्रकाशन की तिथि	चैनल का नाम	प्रविष्टि/प्रसारण की तिथि और समय
01-एबीसी	एबीसी						
02-डीईएफ	डीईएफ						
और इसी प्रकार							

नोट 1— केवल ऐसे राजनैतिक दलों, जिन्होंने आपराधिक मामलों, चाहे ये लंबित मामले हो या विगत में दोषसिद्धि के मामले हो, वाले अभ्यर्थियों को खड़ा किया है, को इस संबंध में संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

मुख्य निर्वाचक अधिकारी
राज्य का नाम

(राजनैतिक दलों द्वारा समाचार पत्र, दल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और वेबसाईट पर प्रकाशित किए जाने हेतु)

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 536 वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं0 2192 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :

*निर्वाचन का नाम :

राज्य/संराज क्षेत्र का नाम :

(1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम
अभ्यर्थी का नाम

क्र0सं0			
1	आपराधिक पूर्वपृत्ति		
	क.	अपराधों की प्रकृति	
	ख.	मामल संख्या	
	ग.	न्यायालय का नाम	
	घ.	क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं (हाँ/नहीं)	
	ङ.	दोषसिद्धि की तिथि यदि कोई हो	
	च	भुगती गई सजा का विवरण यदि कोई हो	
2	अभ्यर्थी के चयन का कारण। चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)		
3	यह कारण बताए कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप दियों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)		

(2) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

अभ्यर्थी का नाम :इत्यादि।

*राज्य सभा या विधान सभा सदस्यों (एमएलए) द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

राजनैतिक दल के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम और पदनाम

नोट:-

- (1) राजनैतिक दलों (केन्द्र और राज्य निर्वाचन स्तर पर) के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों, जिन्हे अभ्यर्थियों के रूप में चयनित किया गया है, के संबंध में विस्तृत सूचना (अपराधों की प्रकृति, और संगत विवरण जैसे कि क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं, संबंधित न्यायालय, मामला संख्या आदि सहित) अपलोड करें। साथ ही ऐसे व्यक्ति का चयन करने के कारण सहित यह भी बताए कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चयनित किया जा सका।
- (2) चयन करने का कारण संबंधित अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट होगी न कि सिर्फ मतदान में जीत 'हासिल करने की क्षमता'।
- (3) सूचना निम्नलिखित में भी प्रकाशित की जाएगी:
- (क) एक स्थानीय भाषा का समाचार पत्र और एक राष्ट्रिय समाचार पत्र;
- (ख) फेसबुक और ट्विटर समेत राजनैतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर;
- (4) समाचार पत्र में यह विषय-वस्तु कम से कम 12 के फॉट साइज में प्रकाशित की जाएगी।
- (5) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी।
- (6) ये विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घण्टे की भीतर या नामनिर्देशन दायर करने की पहली तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किए जाएंगे।
- (7) तत्पश्चात, संबंधित राजनैतिक दल उक्त अभ्यर्थी का चयन होने के 72 घण्टों के भीतर फार्मट सी-8 में अनुपालन की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

वर्ष 2011 की रिट याचिका (सि) स. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सि) स. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के निर्देशों के तहत यथापेक्षित राजनैतिक दल की रिपोर्ट

राजनैतिक दल का नाम.....

दल के सोशल मीडिया एकाउंट का विवरण: (i)

(फेसबुक, ट्विटर इत्यादि) (ii)

(iii)

निर्वाचन का नाम:.....

लोकसभा/विधानसभा का साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन/राज्य सभा/ विधानसभा परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचन

(उपयुक्त विकल्प लिखें)

राज्य का नाम:.....

प्रमाणित किया जाता है कि(राजनैतिक दल का नाम) ने आयोग के पत्र संख्या.....

दिनांक..... में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लंबित आपराधिक मामलों को वाले व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी आयोग द्वारा विहित (फार्मेट सी-7) में निम्नलिखित मीडिया में प्रकाशित कर दी है:

क्रम सं.		प्रकाशन की तारीख एवं प्रकाशन की लागत का अधोलिखित स्तम्भ में उल्लेख किया जाए	
		दिनांक	लागत
1.	एक राष्ट्रीय समाचार पत्र (प्रति उपलब्ध कराई जानी है)		
2.	एक स्थानीय भाषा का समाचार पत्र (प्रति उपलब्ध कराई जानी है)		
3.	दल का सोशल मीडिया प्लेटफार्म (प्रिट उपलब्ध कराया जाना है)		
4.	दल की वेबसाइट (सामग्री का प्रिटआउट संलग्न है)		

घोषणा:

यह घोषणा की जाती है कि लंबित मुकदमों वाले प्रत्येक व्यक्ति , जिन्हे ऊपर उल्लिखित निर्वाचन में दल का अभ्यर्थी चुना गया है, की पूरी जानकारी, स्पष्टीकरण और विवरण माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर संदर्भित दिनांक 13.02.2020 के आदेश में निर्देशों के अनुसार प्रकाशित कर दिए गए हैं, और कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान:

राजनैतिक दल के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम.....

दिनांक:

(दल की मुहर)

नोट: यह रिपोर्ट नाम –निर्देशन प्रस्तावित होने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले या अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 72 घंटों के अन्दर, जो भी पहले हो ,उपलब्ध करवाई जाएगी।